

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.सं.(नि.)देव-10/2006(अंश):-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर महागामा के पद पर पदस्थापन अवधि में बरती गई लापरवाही, विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2748 दिनांक-21.10.08 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

3. सम्यक समीक्षोपरांत सरकार ने श्री राजेश कुमार को उक्त आरोपों से आरोपमुक्त करते हुए श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 5087

/राँची, दिनांक:- 21/04/2014 /

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर महागामा/संयुक्त सचिव (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-2), जल संसाधन विभाग, राँची, वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता, खरकई नहर अवर प्रमण्डल सं.-4, राजनगर (सरायकेला खरसावाँ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

(6.4.14)